विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-28 का उत्तर।

प्रश्न		उत्तर
28 (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में विकास खण्ड-मिश्रिख, ग्राम पं0-भिखनापुर में कोई बारात घर नही है, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को शादी-विवाह व अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है?		अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत विकास योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराया जाता है, जिसमें विवाह संस्कार, अन्य सांस्कृतिक आयोजन सम्पन्न कराये जाने के साथ-साथ रोजगार प्रशिक्षण, कृषि उपज का वितरण तथा बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अवसर पर इन केन्द्रों का उपयोग किया जाता है। सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने के लिए यह मानक निर्धारित है कि उस ग्रामसभा की अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत हो। सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने हेतु दो श्रेणियां निर्धारित हैं- 1-जहां कम से कम 500 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध हो। 2-जहां कम से कम 1050 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध हो। मा0 सदस्य से अनुरोध है कि कृपया परीक्षण कर लें कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख के ग्राम पं0-भिखनापुर के जो ग्राम उक्त श्रेणी में आते हो उससे सूचित कर दें, तदनुसार विचार किया जा सकता है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बारात घर का निर्माण करायेगें ?		उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?		उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?		उपरोक्तानुसार।

Signed by
Asim Kumar Arun
Date: 13-12-2024 13:02:07

(असीम अरुण)
राज्य मंत्री (स्व0प्र0)